

कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रामबाग, मुजफ्फरपुर

E mail:- dietrambagh.muz@gmail.com

दूरभाष न०/फैक्स न० - 0621-2282992

Website:-www.dietrambagh.in

कार्यालय आदेश

विभागीय निदेशानुसार सत्र-2019-21 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ/समापन सत्र-2018-20 के शैक्षणिक कार्यों की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17 द्वारा प्राप्त सत्रवार अंक पत्र को प्रशिक्षुओं की माँग/अनिवार्यता के अनुरूप पूर्व/वर्तमान में प्राधिकृत वर्ग व्याख्याताओं के द्वारा शैक्षणिक कार्यों/नामांकन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं हो पावे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य दिवस में अपराहन 2:00 बजे से 4:30 बजे अपराहन तक संबंधित अंकपत्र वितरण करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र०	सत्र	वर्ग क्रमांक	प्राधिकृत व्याख्याता	वितरण तिथि	अभ्युक्ति
1	2014-16	1-18	श्री नन्द किशोर सिंह	11.06.2019	
2	2015-17	1-17	श्री नन्द किशोर सिंह	11.06.2018	
		18-53	श्री रामानन्द सिंह	12.06.2019	
		54-88	श्रीमती शैल कुमारी सिन्हा	13.06.2019	
3	2016-18	1-35	श्री अनिल कुमार गुप्ता	14.06.2019	
		36-71	श्रीमती मृदुला कुमारी	15.06.2019	
		72-107	श्री नन्द किशोर सिंह	18.06.2019	
		108-143	श्री अशोक कुमार चौधरी	19.06.2019	
		144-188	श्रीमती शैल कुमारी सिन्हा	20.06.2019	

नोट-सत्र-2019-21 का नामांकन प्रक्रियाधीन है, के कारण दिनांक-19.06.2019 एवं 20.06.2019 को अपराहन 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अंक पत्र का वितरण किया जायेगा।

(विनोद कुमार शर्मा)
प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाइट) रामबाग मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक- 374

रामबाग, मुजफ्फरपुर/दिनांक 06.06.19

प्रतिलिपि:- संबंधित प्राधिकृत वर्ग व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि पत्र में अंकित निदेश के आलोक में अनुपालन

सुनिश्चित करेंगे।

नोट-1. विभागीय कार्य, नामांकन प्रक्रिया सत्र-2019-21 की अनिवार्यता/प्रशिक्षुओं के अंक पत्र वितरण को ध्यान में रखते हुए सत्र-2014-16, 2015-17 एवं 2016-18 के प्रशिक्षुओं का अंक पत्र वितरण/सत्र-2018-20 में शैक्षणिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो पावे के क्रम में परीक्षा विभाग के व्याख्याता श्री नन्द किशोर सिंह/रामानन्द सिंह अंक पत्र का वितरण, सुगमतापूर्वक कराने की दिशा में व्याख्याताओं को नाम के परिवर्तन की प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त कर करना सुनिश्चित करेंगे।

2 सत्रवार प्रशिक्षु अंकपत्र प्राप्त करने के लिए मूल प्रमाण प्रवेश पत्र, कॉशनमनी की राशि खाता के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ अपने नाम के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति भी संबंधित व्याख्याता को प्राप्त करावेंगे। ताकि कॉशनमनी की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी जा सके।

(विनोद कुमार शर्मा)
प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाइट) रामबाग मुजफ्फरपुर।